

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :- 35/2021

नाथुसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति चारण निवासी श्यामपुरा हाल पद स्थापित पंचायत समिति मण्डावा ग्राम पंचायत सीगड़ा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।

– निगरानीकार

–बनाम–

इन्द्राजसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी सीगड़ा तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी संख्या-15/2021

लक्ष्मण उम्र 42 वर्ष पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी सीगड़ा तहसील व जिला झुंझुनू।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. इन्द्राजसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी सीगड़ा तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सीगड़ा, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. पदेन सचिव ग्राम पंचायत सीगड़ा, तहसील व जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरुद्ध
प्रस्ताव संख्या-1 पट्टा संख्या-96 दिनांक 20.05.2002
बहक इन्द्राज सिंह पुत्र ज्ञानाराम,ग्राम पंचायत सीगड़ा

उपस्थिति:-

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट -----निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री जयप्रकाश पूनियां, एडवोकेट -----गैर निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय–

दिनांक 07.03.2022

उक्त दोनों निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरुद्ध प्रस्ताव संख्या-1 पट्टा संख्या-96 दिनांक 20.05.2002 ग्राम पंचायत सीगड़ा द्वारा गैर

5/17
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू



निगरानीकार संख्या-1 इन्द्राजसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी सीगड़ी के नाम से जारी पट्टा संख्या-96 दिनांक 20.5.2002 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई। अतः दोनों निगरानियों को एक साथ निर्णित किया जाना उचित समझता हूँ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि- ग्राम पंचायत सीगड़ा ने गैर निगरानीकार के पक्ष में दिनांक 20.05.2022 को एक सनद पट्टा जारी की उक्त पट्टे बाबत संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष शिकायत की गई। संभागीय आयुक्त ने जांच के पश्चात आदेश जारी किया कि पट्टा बनाने के लिये बनाई गई पंच कमेटी की रिपोर्ट में प्रस्तावित पट्टे की भूमि आबादी में कटी हुई होना एवं प्रार्थी का कब्जा होना बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की किसम संबंधी रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त की जानी होती है। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा आबादी भूमिकी रिपोर्ट किये जाने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, परन्तु मौके पर उक्त भूमि जिसके बाबत पट्टा संख्या-96 जारी किया गया वो खातेदारी की भूमि है, इसलिये संभागीय आयुक्त ने उक्त पट्टे को निरस्त करवाने के लिये नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। जिसके अनुसरण में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि उक्त पट्टा खातेदारी भूमि में दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पंच कमेटी व हल्का पटवारी ने सहवन से उक्त प्रकरण में गलत रिपोर्ट कर दी, इसलिये उक्त पट्टा गलत रूप से जारी हो गया। पंच कमेटी और पटवारी रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचों का प्रतिवेदन गलत तैयार करवाया है जिसमें पंचों ने गलत रिपोर्ट की है कि उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव संख्या-1 के जरिये उक्त पट्टा संख्या-96 जारी किया है। इसलिये उक्त पट्टा दिनांक 20.5.2002 काबिले निरस्त है। अतः निगरानी पेशकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सीगड़ा का प्रस्ताव-1 दिनांक 20.05.2002 व सनद पट्टा ग्राम पंचायत सीगड़ा दिनांक 20.5.2002 व सनद पट्टा ग्राम पंचायत सीगड़ा दिनांक 20.5.2002 बहक इन्द्राज सिंह पुत्र ज्ञानाराम को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। ग्राम पंचायत सीगड़ा की मिसल मातहत

५१३
अति. जिला कलेक्टर
जयपुर

तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि उनका मकान आबादी भूमि में है,लेकिन भूमि की किस्म खातेदारी हो, उन्हें जानकारी नहीं है। निगरानी स्वीकार कर उक्त पट्टा संख्या-96 इन्द्राज सिंह निरस्त किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- उक्त पट्टा संख्या-96 सहवन से ग्राम पंचायत द्वारा खातेदारी भूमि में जारी कर दिया गया है। हल्का पटवारी एवं पंचों की कमेटी की रिपोर्ट का बिना भौतिक सत्यापन किये उक्त पट्टा सहवन से खातेदारी भूमि में जारी हो गया । ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पट्टा संख्या-96 ग्राम पंचायत सीगड़ा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। जहां तक हस्तगत निगरानी में गैर निगरानीकार इन्द्राज सिंह के नाम ग्राम पंचायत सीगड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या-96 ग्राम पंचायत सीगड़ा का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि की किस्म खातेदारी है। उक्त पट्टा के संबंध में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त पट्टा मौके पर भूमि खसरा नंबर 246 कृषि भूमि पर बने इन्द्राज सिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट के नाम से जारी होना बताया है। इन सब तथ्यों से साबित है कि हल्का पटवारी एवं पंचों की कमेटी द्वारा बिना मौके की सही जांच किये ग्राम पंचायत सीगड़ा के समक्ष आबादी भूमि में मकान होने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है । विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानी कार ने उक्त भूमि आबादी भूमि हो ऐसा कोई दस्तावेजी व मौखिक कथन नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा निरस्त किये जाने पर भी कोई एतराज नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में श्री इन्द्राजसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी सीगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू के नाम से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सीगड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या-96 दिनांक 20.05.2002

20.05
श्री. शिरा सरपंच
झुंझुनू

को निरस्त किया जाता है। मिसल ग्राम पंचायत सीगड़ा आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू
(जे० पी० गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू
(जे० पी० गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू